




न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

174



श्री. निगामी सतना भू०२५०/२०१७/१९५८

1. धीरज जैन तनय स्व०श्री संतोष जैन निवासी गांधी चौक चिकना मोहल्ला सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०
 2. निखिल खण्डेलवाल तनय श्री विनोद कुमार खण्डेलवाल
 3. श्रीमती श्वेता खण्डेलवाल पत्नी श्री निखिल खण्डेलवाल
- दोनों निवासी वार्ड नंबर-7 आदर्श कालोनी सतना जिला सतना

म०प्र०-----निगराकारण

बनाम

कृष्णकुमार खण्डेलवाल तनय स्व०चन्द्रभान खण्डेलवाल उम्र 58 वर्ष
निवासी चौक बाजार सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना--गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०
विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय सतना के
अपील क्रमांक-30/अपील/16-17 में पारित
आदेश दिनांक 19.05.2017

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित आधार पर यह निगरानी माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विनयी है :-

संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगराकार क्रमांक-1 व 2 जो वैधानिक रूप से आराजी
गैर निगराकार के अन्य हिस्सेदारों से जरिये रजि०विकय पत्र कय कर मौके
पर कब्जा दखल प्राप्त किये जाने तथा आपने नाम नामान्तरण प्रमाणित

Conti---2

[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / सतना / मू०रा० / 2017 / 195०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-9-2017	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। दोनों अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर सतना के अंतरिम आदेश दिनांक 19-5-2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसके द्वारा कलेक्टर ने अग्रिम आदेश तक स्थगन प्रदान किया जाकर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। म०प्र० मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 52(2) के अनुसार - "अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी कि अपील की गई है या जिसके कि विरुद्ध पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उत्तने समय तक के लिए रोक दिया जाए जितना कि वह ठीक समझे: परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा।"</p> <p>स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा संहिता के प्रावधान के विपरीत अग्रिम आदेश तक स्थगन देने में त्रुटि की है इसलिए कलेक्टर का आदेश स्थगन आदेश अग्रिम आदेश तक स्थगित किये जाने के अंश तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर सतना को वापस भेजा जाता है कि संहिता की धारा 52 के अनुसार अधिकतम तीन माह तक स्थगन दिये जाने का प्रावधान है। अतः कलेक्टर का अंतरिम आदेश दिनांक 19-5-2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण विधि के प्रावधान के अनुक्रम कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना को वापस भेजा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>(एस०एस० अली) सदस्य</p>